



2026:AHC:63979-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 22021/2025

सिद्धांत पांडे उर्फ मयंक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद इसरार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

और 1 संबंधित वाद

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

जब वाद पुकारा गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इसरार, प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार राय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शशि शेखर तिवारी उपस्थित हैं।

यह याचिका तथा संबद्ध आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 25490/2025, पति द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 22021/2025 को अग्रणी वाद मानते हुए, स्वीकारोक्ति हेतु एकसाथ लिए गए हैं।

पति द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका, मुकदमा अपराध संख्या 0196/2025, अंतर्गत धारा 85, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना सरपताहा, जनपद जौनपुर, से उद्भूत आक्षेपित एफ.आई.आर. के विरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हमने विवाद के मध्यस्थतापूर्ण समझौता के प्रयास हेतु पक्षकारों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को निर्दिष्ट किया था। एक निर्देशन, दो सप्ताह के भीतर रु. 30,000/- के निक्षेप के अध्यक्षीन, किया गया था तथा एक अंतरिम स्थगन आदेश भी दिनांक 08.01.2026 तक सीमित प्रदान किया गया था। इस वाद में, एक कार्यालय आख्या है, जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता केंद्र की आख्या अभिलेख पर है। दिनांक 06.11.2025 की मध्यस्थता केंद्र आख्या दर्शाती है कि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता की प्रक्रिया के आरंभ हेतु आवश्यक रु. 30,000/- की राशि जमा नहीं की।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से प्रयास करने का अपना अधिकार खो दिया है। यह कहना अनावश्यक है कि दिनांक 09.10.2025 के आदेश के आधार पर, प्रदान किया गया अंतरिम स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो गया है।

अब हम अग्रणी वाद तथा संबद्ध रिट याचिका में याचिकाकर्ता के मामले पर गुण-दोष पर, अर्थात् स्वीकारोक्ति के प्रश्न पर, विचार करने हेतु अग्रसर होते हैं।

इन याचिकाओं को सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इसरार को सुना गया।

यह रिट याचिका मुकदमा अपराध संख्या 0196/2025, अंतर्गत धारा 85, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना सरपताहा, जनपद जौनपुर, से उद्भूत आक्षेपित एफ.आई.आर. के विरुद्ध निर्दिष्ट है।

आक्षेपित एफ.आई.आर. के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह प्रत्यर्थी सं. 3, श्रीमती श्रद्धा तिवारी उर्फ नीतू द्वारा इस आशय के अभिकथनों के साथ दर्ज करवाई गई है कि उसका विवाह अग्रणी वाद के याचिकाकर्ता, सिद्धांत पांडेय उर्फ मयंक, निवासी लखनऊ, से दिनांक 08.06.2025 को हुआ था। विवाह भारतीय परंपरा के अनुरूप, जिसमें बड़ों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि युवक और युवती का विवाह किससे होगा, तय किया गया था। वर की माता द्वारा यह चयन प्रस्तावित किया गया था। पक्षकारों का विवाह वृंदावन कॉलोनी, लखनऊ में स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। सूचनाकर्ता, जो पत्नी है, कहती है कि उसके परिवार ने दहेज में लगभग रु. 5 लाख की राशि दी थी। पक्षकारों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। तथापि, विवाह के एक सप्ताह के भीतर ही, सूचनाकर्ता का पति, अर्थात् अग्रणी वाद का याचिकाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा उसकी बहन रिचा पांडेय, अल्प दहेज लिए जाने के कारण, प्रथम सूचनाकर्ता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। सूचनाकर्ता के ससुर, सुनील कुमार पांडेय, जो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग में कर्मचारी हैं, पति तथा सूचनाकर्ता की ननद के साथ मिलकर उसकी पिटाई करते थे। सूचनाकर्ता का पति, सिद्धांत पांडेय, अस्वस्थता से पीड़ित था तथा मनःप्रभावी औषधियों का सेवन करता था। तत्पश्चात, वह रात्रि में प्रथम सूचनाकर्ता की पिटाई करता तथा प्रकृति के क्रम के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता था। वह उस पर ईसाई धर्म अपनाने हेतु दबाव डालता था, जिसमें उसे सूचनाकर्ता की ननद, रिचा पांडेय, का समर्थन प्राप्त था। सूचनाकर्ता ने, अपने ससुराल में झेली गई इस प्रताड़ना से तंग आकर, दिनांक 21.07.2025 को अपने भाई यशवर्धन तिवारी को बुलाया। जब उसका भाई पहुंचा, तो उसके ससुरालवालों ने उसकी पिटाई की तथा उसे गाली दी। सूचनाकर्ता के आभूषण एवं वस्त्र छीन लिए गए। सूचनाकर्ता तथा उसके भाई को सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ स्थित घर से यह कहते हुए बाहर धकेल दिया गया कि जब तक वे एक चार-पहिया वाहन अथवा बुलेट मोटरसाइकिल जैसा अच्छा दो-पहिया वाहन नहीं लाते, तब तक वे इस घर में दुबारा नहीं आ सकते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ये समस्त अभिकथन मिथ्या हैं तथा प्रथम सूचनाकर्ता ने न्यायालय से यह तथ्य छुपाया है कि उसका पूर्व में विवाह हुआ था तथा तलाक हुआ था, जहां भी, उसने क्रूरता आदि के लिए अपने पति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही का सहारा लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता चाहते हैं कि हम उनके इस निवेदन को स्वीकार करें कि प्रथम सूचनाकर्ता एक उपद्रवी महिला है, जो बिना किसी आधार के विवाह छोड़ देने तथा पति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरंभ करने की प्रवृत्ति रखती है। वह कहते हैं कि हमले आदि के अभिकथनों की पुष्टि हेतु कोई क्षति आख्या नहीं है।

इस प्रक्रम पर, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमें सूचित किया गया है कि यह सिद्धांत पांडेय के लिए भी दूसरा विवाह था, तथा याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तुरंत यह इंगित करते हैं कि उसने याचिका के प्रस्तर सं. 15 में इस तथ्य को प्रकट किया है।

विद्यमान परिस्थितियों की समग्रता में, हम इस तथ्य से प्रभावित होने के इच्छुक नहीं हैं कि यह पक्षकारों हेतु दूसरा विवाह है, और उस आधार पर, उनमें से किसी के भी चरित्र या आचरण को संदेह की दृष्टि से देखें। हम आक्षेपित एफ.आई.आर. तथा उसकी वैधता से संबंधित हैं, क्योंकि यह



अग्रणी वाद तथा संबद्ध रिट याचिका के याचिकागण हैं, जो हमसे एफ.आई.आर. को खारिज करवाना चाहते हैं।

एफ.आई.आर. के सतर्क पठन से यह प्रकट होता है कि इसमें पूर्ण विवरण के साथ, दहेज की मांग के साथ मिश्रित, मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता के सघन अभिकथन हैं। इस प्रकार के अभिकथनों की विवेचना किया जाना आवश्यक है। चूंकि यह एक पारिवारिक विवाद था, हमने स्वयं यह सोचा था कि पक्षकारों को समाधान का अवसर दिया जाना चाहिए तथा मामले को मध्यस्थता केंद्र को निर्दिष्ट किया था। दुर्भाग्यवश, अग्रणी वाद का याचिकाकर्ता, जो पति है, ने हमारे प्रस्ताव को टाल दिया तथा इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया।

परिस्थितियों की समग्रता में, हमें आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्टों में हस्तक्षेप हेतु कोई सम्यक आधार नहीं मिलता है।

दोनों रिट याचिकाएं असफल होती हैं तथा संक्षेपतः खारिज की जाती हैं।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

26 मार्च, 2026

एस.के. श्रीवास्तव